23

11/7/23 उभय पक्ष उपस्थित, पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है ~~/ अवकाश पर है / पदरिक्त है।~~
अतः पत्रावली दिनांक 25/7/23 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

25/7/23 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा०दी० पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 3.8.23 को पेश हो।

3.8.23 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित, प्रार्थी (प्रतिवादी सं 4) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा.दी० स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद पत्र खारीज किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से तैयार करा शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर0ए0एस0
प्रकरण संख्या – वाद पत्र 268/2019

अनवान प्रकरण

1–केशीदेवी पत्नि छोगा बलाई निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (मृतक)
2–सायरी पुत्री छोगा बलाई निवासी भादू हाल राजपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
3–कंकू पुत्री छोगा पत्नि नन्दा बलाई निवासी भादू हाल धाबोला तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
4–लक्ष्मी पुत्री सुखा नाबालिग जरिये संरक्षक दादी केशी पत्नि छोगा बलाई निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा ———वादीगण

बनाम

1–नारायण पिता सुखा बलाई निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
2–भगवतीलाल पिता सुखा बलाई निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
3–देउदेवी पत्नि सुखा बलाई निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
4–बदामदेवी पत्नि सोहनलाल खटीक निवासी बलाईखेड़ा तहसील माण्डल
5–रामेश्वरलाल पिता मगना बलाई निवासी दांताकला तहसील माण्डल
6–लादू पिता धन्ना बलाई निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
7–गोपाल पिता धन्ना बलाई निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
8–शंकर पिता धन्ना बलाई निवासी भादू तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
9–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा ———प्रतिवादीगण

(वाद पत्र बाबत– खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, बटवाड़ा आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88–92ए–53 व 188 राज0काश्त0अधिनियम)

———0———

प्रार्थीः– बदामदेवी पत्नि सोहनलाल खटीक निवासी बलाईखेड़ा तहसील माण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0

———0———

उपस्थितः– वकील वादीगण – श्री रोशनलाल रेगर
वकील प्रतिवादीगण – श्री श्यामलाल वैद
श्री शरदकुमार पालीवाल(प्र0स04)

———

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

आदेश **दिनांक 03.08.2023**

प्रार्थीया (प्रतिवादी सं0 4) की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 3 के द्वारा वाद वर्णित आराजीयात ग्राम भादू पटवार हल्का भादू की आराजी नम्बर 1184–1185–1186 कुल कीता 3 कुल रकबा 6 बीघा 04 बिस्वा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 23.07.2005 को एवं आराजी नम्बर 1187–1188–1189–1190– 1192–1193– 1194 कुल कीता 07 कुल रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा में अपने 1/2 हक हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से दिनांक 13.12.2007 से प्रतिवादी संख्या 5 रामेश्वरलाल को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया। तत्पश्चात प्रतिवादी रामेश्वरलाल ने उक्तानुसार अंकित आराजीयात को जरिये पंजीबद्ध विक्रयपत्र दिनांक 28.10.2009 का प्रतिवादी संख्या 4 बदामदेवी को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया। विक्रय दिनांक से प्रतिवादी संख्या 04 उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। वादीगण ने वादपत्र में विक्रयपत्र को अवैध व शून्य निष्प्रभावी घोषित करने का अनुतोष चाहा है जो कि सिविल न्यायालय के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। बिना सिविल न्यायालय के विक्रयपत्र को निरस्त कराये वाद पोषणीय नहीं है।

यह कि वादीगण द्वारा बिनाय वाद दिनांक 05.06.2000, 20.11.2001 को उत्पन्न होना बताया है। बिनाय वाद से ही वादीगण का वादपत्र बेरून मियाद होने से पोषणीय नहीं है। घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद पेश करने की मियाद 3 वर्ष है तथा प्रतिवादी संख्या 09 को वाद पत्र पेश करने से पूर्व धारा 80 जा0दी0 के तहत 2 माह की समयावधि का नोटिस दिये बिना वाद पेश किया जो खारिज योग्य है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थीया (प्रतिवादी सं0 4) के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 का वादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण ने यह वाद पुश्तैनी आराजीयात में हक हिस्सा लेने के लिए घोषणा, विभाजन आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। वादीगण ने वाद में विक्रयपत्रों को विधि विरूद्ध होने से शून्य व अपने मुकाबले अप्रभावी होना अंकित किया है निरस्त कराने का कोई अनुतोष नहीं चाहा है। अतः वादपत्र को सुनने का क्षैत्राधिकार श्रीमान का होने से श्रीमान के न्यायालय में यह वाद पेश किया है। वादपत्र में वाद हेतुक प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा जबरदस्ती बेदखल करने के लिए आमादा होने की दिनांक 02.02.2011 को उत्पन्न होने से यह वाद मियाद में पेश किया है। खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश करने की कोई निर्धारित अवधि नहीं है। वादपत्र पेश करने से पूर्व धारा 80(2) का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर वाद पेश करने की स्वीकृति ली है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए इसे ही बहस मानी जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज किए जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थनापत्र की पुष्टि में निम्न

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

विधिक दृष्टान्त 2015 डीएनजे(एस0सी0) पेज 584 फतेहजी एण्ड कम्पनी व अन्य बनाम एल0एम0नागपाल व अन्य सिविल अपील संख्या 3912/2015 में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2015, 2013(1) डीएनजे(राज0) पेज 358 सांगानेर एग्रो व कोल्ड स्टोरज प्रा0लि0 व अन्य बनाम जानकी देवी व अन्य एस0बी0सिविल रिवीजन पिटीशन संख्या 77/2012 में पारित निर्णय दिनांक 23.01.2013 प्रस्तुत किए। वकील अप्रार्थी ने बहस में प्रार्थनापत्र का प्रस्तुत जवाब को दोहराते हुए इसे ही बहस मानते हुए प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया। अपने जवाब की पुष्टि में निम्न विधिक दृष्टान्त 2013(3) डीएनजे(राज0) पेज 1219 विजय शंकर बनाम रामशरण व अन्य एस0बी0सिविल रिवीजन पिटीशन संख्या 111/2012 में पारित निर्णय दिनांक 08.04.2013 व 2017(4) डीएनजे(राज0) पेज 1792 सन्नोदयी(श्रीमती)व अन्य बनाम सतीश चौधरी व अन्य एस0बी0सिविल रिवीजन पिटीशन संख्या 223/2017 में पारित निर्णय दिनांक 17.11.2017 प्रस्तुत किए।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 पर सुनी। बहस के तथ्यों एवं प्रार्थनापत्र व जवाब एवं प्रस्तुत विधिक दृष्टान्तों के अध्योपान्त यह स्पष्ट है कि ग्राम भादू की आराजी नम्बर 1184–1185–1186 कुल कीता 3 कुल रकबा 6 बीघा 04 बिस्वा नकल जमाबन्दी सम्वत् 2053 से 2056 में सुखा पिता छोगा बलाई के नाम दर्ज थी जो सुंखा की मृत्यु का नामान्तरकरण संख्या 1702 दिनांक 05.06.2000 से सुखा के बजाय नारायण, भवतीलाल पिता सुखा व देउ बेवा सुखा के नाम संयुक्त रूप से दर्ज हुई। इसी प्रकार ग्राम भादू की आराजी नम्बर 1187–1188–1189–1190– 1192–1193–1194 कुल कीता 07 कुल रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा नकल जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 2060 में धन्ना पिता हीरा 1/2 सुखा पिता छोगा 1/2 बलाई सा0देह खातेदार दर्ज थी जो सुखा की मृत्यु पश्चात विरासत के नामान्तरकरण संख्या 1771 दिनांक 20.11.2001 से सुखा के बजाय नारायण पिता सुखा , भगवती पिता सुखा नाबा0 बवि0 माता देउ बेवा सुखा, मु0 देउ बेवा सुखा का नाम जमाबन्दी में दर्ज हुआ। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादी संख्या 1 केशीदेवी छोगा की पत्नि है तथा वादी संख्या 2 व 3 स्व0 छोगा की पुत्रियां है। इनके द्वारा छोगा की मृत्यु के पश्चात जिस नामान्तरकरण से छोगा के बजाय सुखा पिता छोगा का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही किसी भी न्यायालय में नहीं की यहां तक कि सुखा के नाम पर उक्त आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के पश्चात सुखा की मृत्यु का जो नामान्तरकरण संख्या 1702 दिनांक 05.06.2000 एवं नामान्तरकरण संख्या 1771 दिनांक 20.11.2001 से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का नाम दर्ज हुआ तब भी वादीगण के द्वारा इन नामान्तरकरण के विरूद्ध कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में नहीं की गई। यहां तक कि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के द्वारा उक्त वाद वर्णित आराजीयात को दिनांक 23.07.2005 एवं 13.12.2007 को प्रतिवादी संख्या 05 को पंजीबद्ध विक्रयपत्र से इस्तान्तरित किए जाने के उपरान्त भी वादीगण के द्वारा उक्त विक्रयपत्रों के विरूद्ध एवं इन विक्रयपत्रों के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 05 का नाम दर्ज किए जाने हेतु जारी नामान्तरकरण संख्या 2200 दिनांक 05.11.2005 के विरूद्ध भी किसी न्यायालय में कोई चाराजोही नहीं की । इस प्रकार प्रकरण में कॉज ऑफ एक्शन छोगा की मृत्यु पश्चात सुखा के नाम खोले गए नामान्तरकरण जिसे वादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है एवं सुखा की मृत्यु के पश्चात जो नामान्तरकरण संख्या 1702 दिनांक 05.06.2000 एवं नामान्तरकरण संख्या 1171 दिनांक 20.11.2001 वादवर्णित आराजीयात की विरासत के दायर किए हैं तब से कॉज ऑफ एक्शन प्रारम्भ हो चुका था। परन्तु वादीगण ने जो कॉज ऑफ एक्शन प्रतिवादी संख्या 04 के वादवर्णित आराजीयात में अनाधिकृत प्रवेश दिनांक 02.02.2011 से किए जाने से मानते हुए वाद दिनांक 22.02.2011 को प्रस्तुत किया जो कतई स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। जैसाकि खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में यह स्पष्ट है कि कॉज ऑफ एक्शन की दिनांक से 3 वर्ष की अवधि में इस तरह का वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है। हस्तगत प्रकरण में कॉज ऑफ एक्शन की दिनांक खातेदारों की विरासत के नामान्तरकरण की दिनांक 05.06.2000 व 20.11.2001 एवं वाद वर्णित आराजीयात के विक्रय का नामान्तरकरण दिनांक 05.11.2005 से प्रारम्भ होता है जिसके अनुसार वाद प्रस्तुत करने की अवधि 06.11.2008 को ही समाप्त हो जाती है जबकि वादीगण के द्वारा वाद दिनांक 22.02.2011 को प्रस्तुत किया है। इसके लिए विधिक दृष्टान्त 2015 डीएनजे(एस0सी0) पेज 584 फतेहजी एण्ड कम्पनी व अन्य बनाम एल0एम0नागपाल व अन्य सिविल अपील संख्या 3912/2015 में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2015 पूर्णतया लागू होता हैं। इस प्रकार वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पोषणीय नहीं होने से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होता है। अतएव–

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीया (प्रतिवादी सं0 4) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 स्वीकार करते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अवधि अधिनियम की धारा 54 में दी गई व्यवस्था अनुसार पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश आज दिनांक 03.08.2023 को तैयार कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा